UPRB010011822026

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती प्रतिमा, (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP2637

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–466/2026

1– लवकुश पुत्र कन्धई, निवासी ग्राम सरैंया, मजरे भवानीगढ़, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1– उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–317/2025,
अन्तर्गत धारा–80(2),85 B.N.S व 3/4 डी.पी. एक्ट
थाना–शिवगढ़, जिला–रायबरेली।

दिनांक–11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त लवकुश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–317/2025, धारा–80(2), 85 भा०न्या०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना–शिवगढ़, जिला–रायबरेली के मामले में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज होकर अन्तरित होने के उपरान्त निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त कराया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संक्षिप्तः इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित नहीं की गयी है और न ही कथित मृतका से कभी कोई दहेज की मांग की गयी है और न ही उसे दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया है। मृतका का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध संपन्न हुआ था, इसलिए वह अपने ससुराल वालों और पति सहित परिवार के सदस्यों से नाराज थी। मुकदमा उपरोक्त में न तो कोई चक्षुदर्शी साक्षी है और न ही कोई स्वतंत्र गवाह है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त व उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम व स्नेह करते थे, प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी का हर प्रकार से ध्यान रखता था तथा उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मृतका द्वारा स्वयं ही

आत्महत्या की गयी है चूंकि यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित की गयी होती तो मृतका के परिजनों को इस बाबत सूचना देना कतई सम्भव नही होता है मात्र दुरभि सन्धि के आधार पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया। मृतका का शव विच्छेदन आख्या, कथित घटना व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं कर रही है। प्रार्थी दिनांक 07.12.25 से जिला कारागार में निरुद्ध है, वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त आधारों पर जमानत प्रदत्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रकरण दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है। अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया तो जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक एवं आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना शिवगढ़ में इस आशय की तहरीर दिया गया है कि "प्रार्थी की बहन संगीता की शादी लवकुश के साथ लगभग 4 वर्ष पूर्व हुई थी। प्रार्थी की बहन बिदा होकर अपनी ससुराल गयी तो उसकी सास द्वारा कहा गया कि जो हमने कहा था उसका अपने माता–पिता से कहो कि मेरे बेटे मोटरसाइकिल लेकर दें प्रार्थी की बहन ने कहा कि मेरे पिता एक पुत्री और भी है उसकी भी शादी ब्याह करना है और कहा इतना आपको दहेज दिया है यह कम है इस पर लवकुश व सास राजकुमारी आग बबूला होते हुए प्रार्थी की बहन के साथ मारपीट किया। लवकुश आये दिन मोटरसाइकिल को लेकर प्रार्थी की बहन के साथ मारपीट किया करता था और कहता की तुम्हारे पिता ने जमीन बेंची है मुझको मोटरसाइकिल लेकर नहीं दे सकते। प्रार्थी की बहन प्रसव के पश्चात मृत बच्चा हुआ था जिससे नाराज होकर लवकुश व राजकुमारी ने मारपीट किया और कहा की तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। प्रार्थी की बहन को 22/11/2025 को लवकुश व सास राजकुमारी दहेज को लेकर मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक मोटरसाइकिल लेकर नही आओगी यहां दिखाई मत देना घर के सभी लोगो ने संगीता को समझा बुझाकर फिर से लवकुश के साथ भेज दिया और कहा सब ठीक हो जायेगा दिनाँक 04/12/2025 को रात्रि करीब 08:30 बजे मोबाइल नं0 6230140023 से मोबाइल नं०–7068517812 पर फोन आया और कहा की अंजू तुम्हारे जीजा व सास हमको बहुत मारपीट रहे हैं और जीजा ने फोन छीन कर काट दिया मेरी बहन अंजू ने कई बार फोन किया मगर फोन नहीं उठा उसके बाद रात्रि करीब 10:53 बजे लवकुश ने फोन किया और कहा कि तुम्हारी बहन का काम तमाम हो गया है और फोन काट

दिया हम लोग ग्राम सरैया मजरे भवानीगढ़ जाकर देखा तो मेरी बहन मृत अवस्था में पड़ी मिली।"

आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा की बहन को अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया तथा अतिरिक्त दहेज न मिलने पर उसकी दहेज हत्या कारित की। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है।

वादी मुकदमा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० में कथन किया गया है कि "सूचना मेरी बहन संगीता ने दिनाँक 04.12.2025 को रात्रि करीब 08:30 बजे मोबाइल नं०– 6230140023 से मेरे मोबाइल पर मेरी बहन अंजू को दी और कह रही थी कि तुम्हारे जीजा लवकुश व मेरी सास श्रीमती राज कुमारी हमको बहुत मार–पीट रहे हैं और तब किसी ने पीछे से फोन को छीनकर काट दिया .... मैं अपने परिजनों के साथ अपनी बहन की ससुराल ग्राम सरैया गया तो देखा कि मेरी बहन संगीता का शव घर के बाहर बरामदे में जमीन पर रखा हुआ है।" इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मृतका के भाई बृजेश कुमार व बहन कु० अंजू द्वारा भी अभियोजन कथानक के समर्थन में अं० धारा 180 भा०ना०सु०सं० का साक्ष्य दिया गया है।

शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतका संगीता के शरीर पर **निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोट** पायी गयी–

1. An oblique ligature mark of size 30cm X 1.5cm present all over neck above thyroid cartilage, in front of neck passing obliquely upwards and backwards with gap of 4cm, posterio lateral aspect of right side of neck. Ligature mark is situated 4cm below right ear and 6.5cm below left ear and 5cm below chin. Base of groove of ligature mark is brownish hard and parchment like. On opening subcutaneous tissue underneath the ligature mark, it is white, hard and glistening.

शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतका संगीता की मृत्यु के कारण में 'Asphysia, due to antemortem hanging as noted, however viscera preserved for chemical analysis if required and handed over to concern police for FSL, Lko.' अंकित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार घटना रात्रि करीब 08:30 बजे वादी की बहन/मृतका की ससुराल में घटित होना स्पष्ट है। केसडायरी में संलग्न मृतका की शादी के कार्ड में उसकी शादी 21 मई 2021 को प्रार्थी/अभियुक्त लवकुश के साथ होना अंकित है जिससे मृतका की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के अन्दर दिनांक 04.12.2025 को होना स्पष्ट है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा दहेज हत्या के सम्बन्ध में अभियुक्त लवकुश के विरुद्ध

नामजद अंकित कराई गई है। प्रकरण में विवेचना समाप्त हो चुकी है और दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता होना पाते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दहेज हत्या जैसे गम्भीरतम अपराध से सम्बन्धित है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता की दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त लवकुश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–317/2025, धारा–80(2), 85 भा०न्या०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना–शिवगढ़, जिला–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती प्रतिमा)
जे.ओ. कोड–UP02637
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आशुलिपिक
आर्यन पटेल

Digitally signed by PRATIMA TIWARI
Date: 2026.03.12 12:04:12 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court, Raebareli